न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस., कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

(आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00047)

प्रकरण संख्या :– 25/2019

उनवानी प्रकरण :–

बच्चू पुत्र वेनीराम जाति लोधा निवासी डोगरपुर थाना मनिया जिला धौलपुर

---------- प्रार्थी/अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग) धौलपुर ---------- अप्रार्थी/रैस्पोडेण्ट।

प्रार्थना पत्र बावत मृतक शस्त्र
स्थानान्तरण अनुज्ञा पत्र जारी करने

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान सहा0 लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय **दिनांक 26.07.2022**

यह प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर, संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.5.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.05.2017 को निरस्त करते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात पर गौर करते हुये पुलिस विभाग से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर, संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 16.5.2019 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि वह इस सम्बन्ध में कोई कथन या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

प्रार्थी की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) जोन भरतपुर से प्रार्थी के चरित्र सम्बन्धी एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट स्पष्ट अभिशंषा के साथ चाही गई।

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3725 दिनांक 04.11.2019 के द्वारा आवेदक प्रार्थी बच्चू के नाम उसके पिता के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 20/81 स्थानान्तरण किये जाने की अनुशंषा की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) जोन भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 394 दिनांक 28.10.2022 के द्वारा आवेदक प्रार्थी को वर्तमान में कोई खतरा होना जानकारी में नहीं आया है लेकिन हथियार की देखभाल व परवरिश ठीक ढंग से कर पाने में सक्षम प्रतीत होता है। शस्त्र अनुज्ञापत्र का स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है रिपोर्ट में अंकित किया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी का चरित्र एवं चाल–चलन अच्छा बताया है। जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 20/81 को स्थानान्तरण कराना चाहता है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक एवं सजायावी रिकाई दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपने मृतक पिता के शस्त्र अनुज्ञापत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम स्थानान्तरण कराने हेतु नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र बनवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि पूर्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) जोन भरतपुर ने प्रार्थी के सम्बन्ध में शस्त्र अनुज्ञापत्र सम्बन्धी जांच में पाया कि प्रार्थी हथियार की देखभाल व परवरिस ठीक ढंग से नहीं करपायेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) जोन भरतपुर ने अपनी वर्तमान रिपोर्ट में शस्त्र अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी को वर्तमान में कोई खतरा होना नहीं बताया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी के सम्बन्ध में मात्र थाना सदर से रिपोर्ट प्राप्त की है शहर में दो अन्य थाने स्थापित है उनसे कोई सत्यापन नहीं कराया है। अन्य थानों में भी तो प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज हो सकता है। प्रार्थी एक सामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति है प्रार्थी को वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। प्रार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। यह प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर से इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त हुआ है कि अपीलान्ट

को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात पर गौर करते हुये पुलिस विभाग से पुन: तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। इस सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के पिता स्व0 श्री बैनीराम के नाम एक शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 20/1981 जारी किया गया था। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 20.03.2007 को हो जाने पर प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपने नाम स्थानान्तरण किये जाने हेतु अप्रार्थी के समझ प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली में संलग्न कार्यालय टिप्पणी दिनांक 03.02.2017 का अवलोकन किया गया जिसमें अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने बावत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट/दस्तावेज की स्थिति दर्शायी गई है जिसके कॉलम संख्या 1लगा011 में किसी में भी ऐसी कोई टिप्पणी अथवा दस्तावेज का हवाला नहीं दिया गया है जिससे प्रार्थी के नाम अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण किये जाने में कोई कानूनी बाधा आ रही हो। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) जोन भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.01.09 के इस आधार पर निरस्त किया गया कि प्रार्थी हथियार की देखभाल व परवरिस ठीक ढंग से नहीं करपायेगा।

प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) जोन भरतपुर से प्रार्थी के चरित्र सम्बन्धी एंव शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट स्पष्ट अभिशंषा के साथ चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 3725 दिनांक 04.11.2019 के द्वारा आवेदक प्रार्थी बच्चू के नाम उसके पिता के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 20/81 को स्थानान्तरण किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना अंकित नहीं है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) जोन भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 394 दिनांक 28.10.2022 के द्वारा प्रार्थी को हथियार की देखभाल व परवरिश ठीक ढंग से कर पाने में सक्षम पाया गया है। रिपोर्ट अनुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र का स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस प्रकार वर्तमान में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों में एक भी रिपोर्ट प्रार्थी के विरूद्व नहीं है। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा उसके पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के कारण पिता के शस्त्र अनुज्ञापत्र को ही स्वंय के नाम से हस्तांतरण करना चाहा गया है अर्थात नवीन अनुज्ञापत्र नहीं चाहा गया है। अतः प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बच्चू पुत्र वेनीराम जाति लोधा निवासी डोगरपुर थाना मंनिया जिला धौलपुर को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी कर प्रार्थी के पिता स्व0 श्री बैनीराम के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 20/1981 पर दर्ज शस्त्र को प्रार्थी के नाम स्थानान्तरण किये जाने के आदेश इस शर्त के अधीन दिये जाते है कि

प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र 15 वर्षो से भी अधिक पुराना होने के कारण प्रार्थी अपने मृतक पिता के समस्त वारिसान का नया सहमति शपथ पत्र उसके पक्ष में शस्त्र अनुज्ञापत्र हस्तांतरित के संबध में पुनः पेश करेगा व अनापत्ति व सहमति के समाधान उपरान्त ही आदेश की पालना अमल में लाई जायेगी। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न कर भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल) 26/7/22
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ★ धौलपुर (राज.) ★